भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2180
उत्तर देने की तारीख-09/12/2024

केंद्रीय विश्वविद्यालय और केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संकायों की पदोन्नति

† 2180. डॉ. आलोक कुमार सुमन:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों (सीयू), केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों तथा अन्य केंद्रीय सरकार शैक्षणिक संस्थाओं (सीईआई) में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संकायों की पदोन्नति में जानबूझकर देरी की जाती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं;
(ख) उपरोक्त विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर ग्रेड में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के संकायों की पदोन्नति के लिए रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है तथा उनकी संख्या कितनी है; और
(ग) क्या सरकार ने इन विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं में सकारात्मक भेदभाव नीति का कड़ाई से पालन करने के लिए समय-समय पर कोई निर्देश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा जारी नवीनतम निर्देश क्या हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ .सुकान्त मजूमदार)

(क) और (ख) शिक्षा मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय विश्वविद्यालय, संसद के संबंधित केंद्रीय अधिनियमों के तहत स्थापित वैधानिक स्वायत्त संगठन हैं तथा अधिनियमों और उसके तहत बनाई गई संविधियों/अध्यादेशों/विनियमों के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं।

रिक्तियों का होना और उनका भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है। ये रिक्तियां सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र और छात्रों की बढ़ी हुई संख्या के कारण अतिरिक्त आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न होती हैं। पदों को भरने का दायित्व संबंधित केंद्रीय विश्वविद्यालयों पर है। शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) नियमित रूप से केंद्रीय विश्वविद्यालयों में रिक्तियों को भरने की प्रगति की निगरानी करते हैं, जिन्हें मिशन मोड में रिक्तियों को भरने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा, भारत सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार सीधी भर्ती और पदोन्नति में एससी के लिए 15% और एसटी के लिए 7.5% तक आरक्षण प्रदान किया जाता है। दिनांक 31.10.2024 की स्थिति के अनुसार, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 5182 पद रिक्त शिक्षण पद हैं, जिनमें एससी के लिए रिक्त पदों की संख्या 740 और एसटी के लिए 464 है।

(ग) भर्ती में न्यायसंगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए, केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2019 को दिनांक 09.07.2019 को अधिसूचित किया गया है, जो केंद्र सरकार द्वारा स्थापित, संरक्षित या सहायताप्राप्त केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों के शिक्षक संवर्ग में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) से संबंधित व्यक्तियों के लिए सीधी भर्ती में पदों के आरक्षण का प्रावधान करता है। यह अधिनियम आरक्षण के उद्देश्य से अलग-अलग विभागों के बजाय विश्वविद्यालय/केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान को एक संवर्ग या इकाई मानकर नियुक्ति में पदों के आरक्षण से संबंधित कठिनाई को दूर करता है।

इसके अलावा, यूजीसी ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों को (i) एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी आरक्षण नीति के कार्यान्वयन, (ii) आरक्षण नीति का सख्त अनुपालन, (iii) विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आरक्षण रोस्टर प्रदर्शित करना और (iv) शेष चिन्हित बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए निर्देश जारी किए हैं। हाल ही में, यूजीसी ने दिनांक 19 अप्रैल, 2024 के पत्र संख्या 1-8/2014 (एससीटी), के माध्यम से सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को इस संबंध में निदेश जारी किए हैं।

*****